ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

वर्धा

विद्या-परिषद की

पहली बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 07 एवं 08 जुलाई, 2004

ग्रामपयोगी केंद्र,

दत्तपुर, वर्धा

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की (द्विदिवसीय) पहली बैठक : 7 एवं 8 जुलाई 2004

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की पहली (द्विदिवसीय) बैठक दिनांक 7 एवं 8 जुलाई 2004 को कुलपति की अध्यक्षता में ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र, वर्धा में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1.	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति, म.गा.अ.हि.वि.
2.	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
3.	डा. माजिदा असद	:	सदस्य
4.	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
5.	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6.	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
7.	प्रो. इंद्रनाथ चौधरी	:	सदस्य
8.	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
9.	श्री प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
10.	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
11.	डा. टी.आर. भट्ट	:	सदस्य
12.	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
13.	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव एवं कुलसचिव, म.गा.अ.हि.वि.

अन्य सदस्य प्रो. दया कृष्ण (जयपुर), श्री एस.आर. फारूकी (इलाहाबाद), प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी (उज्जैन), डा. यू.आर. अनंतमूर्ति (बैंगलोर), प्रो. उदय नारायण सिंह (मैसूर), प्रो. इंदिरा गोस्वामी (दिल्ली), डा. अशोक आर. केलकर (पुणे), प्रो. राम दयाल गुप्ता (उज्जैन), डा. नबनीता देव सेन (कोलकाता) एवं प्रो. बी. ए. प्रभाकर बाबू (हैदराबाद) पूर्व प्रतिश्रुत होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित न हो सके।

बैठक के शुभारम्भ के पहले कुलपति ने सभी सदस्यों का औपचारिक परिचय करवाया। बैठक में कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार हुआ। चर्चा का संक्षेप और लिए गए निर्णय नीचे क्रमानुसार लिखे गए हैं :-

[illegible] बोर्डों द्वारा प्रस्तावित तथा कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं को स्वीकृति :

विद्या-परिषद् का गठन न होने से, कुलपति को अपने विशेष अधिकारों के अंतर्गत एक तदर्थ पाठ्यक्रम निर्माण समिति की नियुक्ति कर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या प्रणाली तैयार करवाना आवश्यक था। उक्त तदर्थ समिति में

संबंधित क्षेत्रों के जाने-माने विद्वानों को निमंत्रित किया गया था। तैयार पाठ्यक्रमों को कुलपति के अनुमोदन से लागू किया गया है। अतः इन चल रहे तथा तैयार पाठ्यक्रमों को कार्योत्तर स्वीकृति के लिए रखा गया है।

परिशिष्ट 'क'

विद्या-परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा पिछले सत्र में चलाए गए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की :

1. **एम.ए. अहिंसा एवं शांति अध्ययन**
2. **एम.ए. हिन्दी तुलनात्मक साहित्य**
3. **एम.ए. स्त्री अध्ययन**
4. **एम.ए. अनुवाद प्रौद्योगिकी**

विद्या-परिषद् ने नए सत्र से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भी स्वीकृति प्रदान की :

1. **एम.ए. हिन्दी (भाषा प्रौद्योगिकी)**
2. **एम.ए. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण**

नए पाठ्यक्रमों में 'अहिंसा एवं शांति अध्ययन' में कुछ संशोधन किए गए। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है।

2) उपाधियाँ, पदविकायें तथा प्रमाण-पत्रों की स्थापना :

विश्वविद्यालय में चल रहे तथा भविष्य के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर दी जानेवाली उपाधियाँ, पदविकायें तथा प्रमाण-पत्रों की विधिवत स्थापना आवश्यक है।

परिशिष्ट 'ख'

विद्या-परिषद् ने इसे स्वीकृति प्रदान की तथा अगले सत्र से एम.एस. डब्ल्यू (समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि) भी शुरू करने का निर्णय लिया।

3) शैक्षणिक पदों का निर्माण तथा विषय विशेषज्ञता निर्धारण :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18 शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय को स्वीकृत किए हैं। विश्वविद्यालय के चार विद्यापीठों में बँटे इन पदों की विषय विशेषज्ञता निर्धारण विद्या-परिषद् द्वारा होना है, अस्तु यह प्रस्ताव *परिशिष्ट 'ग'* के अनुसार स्वीकृति के लिए रखा गया है।

इस विषय में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के लिए प्राप्त 18 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के अनुसार व विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की विशेषज्ञता को प्रमुखता देते हुए वांछनीय योग्यता का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

प्राप्त प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में छह सदस्यों की उपसमिति गठित की गई एवं उसकी बैठक 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में कर अनुशंसित कार्रवाई को

विद्या-परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। उपसमिति में निम्नलिखित सदस्य नामित किए गए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष
2)	डा. माजिदा असद	:	सदस्य
3)	डा. बालकृष्ण पिल्लई,	:	सदस्य
4)	प्रो. इंद्रनाथ चौधरी	:	सदस्य
5)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
6)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
7)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य

4) स्वीकृत पदों की चयन समिति के लिए विशेषज्ञों की सूची का निर्माण :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत 18 पदों के लिए निर्धारित विशेषज्ञता के आधार पर प्रत्येक विषय की चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम छह सदस्यों के नामों का सुझाव – ***परिशिष्ट 'घ'***

इसे कार्यसूची की मद संख्या 3 के अनुसरण में गठित उपसमिति की बैठक में प्रस्तुत कर उसकी अनुशंसा विद्या-परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ।

5) स्कूल बोर्डों पर कुलपति द्वारा नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति को प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकृति :

विद्या-परिषद् का गठन न होने से कुलपति ने अपने विशेष अधिकारों के अंतर्गत स्कूल बोर्डों का गठन कर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए सदस्यों की नियुक्ति की है। उसे अनुमोदनार्थ रखा गया है। अनुलग्नक : सदस्य सूची – ***परिशिष्ट : 'ङ'***

इसे 25 जुलाई 2004 को आयोजित उपसमिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ।

6) अकादेमिक परिनियमों का निर्माण तथा स्वीकृति :

i) विद्यापीठ–बोर्ड–विभागों की स्थापना संबंधी
ii) छात्र पंजीयन तथा प्रवेश संबंधी परिनियम
iii) परीक्षा संबंधी परिनियम
iv) अंक-सूची तथा स्नातकोत्तर उपाधि/पदविका–प्रमाण-पत्र संबंधी परिनियम
v) दीक्षांत समारोह

– ***परिशिष्ट 'च'***

विद्या-परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त परिशिष्ट च (i), (ii) व (iii) के अनुलग्नकों का अवलोकन कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा शेष बिन्दु च (iv) एवं (v) को विद्या-परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

7) ग्रंथालय संबंधी नियमावली : — *परिशिष्ट 'छ'*

विद्या-परिषद् ने ग्रंथालय संबंधी नियमावली के प्रारूप का अवलोकन किया एवं इसका अनुमोदन किया।

8) छात्रावास तथा आवास संबंधी नियमावली : — *परिशिष्ट 'ज'*

उपरोक्त सभी विषयों का नियमन परिनियमों के अंतर्गत होना है, अतः विद्या-परिषद् के विचारार्थ मसौदा रखा गया है।

विद्या-परिषद् द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।

9) महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेय उपाधि-प्रमाण-पत्र पदविका तथा अंक सूची के प्रारूपों का निर्धारण :

यद्यपि विश्वविद्यालय के विविध पाठ्यक्रमों का प्रारंभ हो गया है, किन्तु किसी भी पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र अथवा अंक-सूची छात्रों को नहीं दी गई है अतः उनके प्रारूपों का निर्धारण कर उन्हें प्रदान करने का अधिकार देना आवश्यक है। ***परिशिष्ट 'झ'*** में प्रारूप संलग्न है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों का अवलोकन कर विद्या-परिषद् ने इसे अन्तिम रूप देने के लिए श्री बालकृष्ण पिल्लई के सुपुर्द किया गया। अपनी अनुशंसा वे अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

10) विश्वविद्यालय के विज़न प्लान पर चर्चा एवं निर्देश :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के लिए एक नया विज़न प्लान बनाया गया है जिसमें इसके भविष्य की रूपरेखा एवं विकास की नई दिशाओं पर प्रकाश डाला गया है। विद्या-परिषद् के माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं सुझाव के लिए यह विज़न प्लान प्रस्तुत किया जा रहा है।

अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी।

11) अन्य विषय :

i) डॉ. बाबासाहब भीमराव अंबेडकर शोध अध्यासन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव : — *परिशिष्ट 'ञ'*

ii) महात्मा गांधी, प्यूजीइ गुरुजी अंतरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव : — *परिशिष्ट 'त'*

इस मुद्दे को अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय हुआ।

विद्या-परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कार्यसूची पर तुरन्त विचार करना आवश्यक है। इसलिए 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में उपसमिति की बैठक के बाद विद्या-परिषद् की अगली बैठक अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में रखी जाय और उसमें शेष विषयों एवं उपसमिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में विचार कर निर्णय लिया जाय।

सदस्यों द्वारा कुछ विशिष्ट सुझाव दिए गए, जोकि इस प्रकार हैं :

1. स्त्री अध्ययन पाठ्यक्रम की इस सत्र के बाद समीक्षा की जाय एवं यदि बाजार के अनुसार इसव उपयोगिता नहीं प्रतीत होती तो इसे या तो बंद किया जाय या आगे दूर शिक्षा के अन्तर्गत रखा जाय।

2. नए पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने से पूर्व देश के श्रेष्ठतम विद्वानों को इससे जोड़ते हुए विशेषज्ञों की सू तैयार की जाय जो विश्वविद्यालय के अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप के अनुसार हो।

3. विश्वविद्यालय द्वारा आरम्भ किए जा रहे योग पाठ्यक्रम को बाजार की दृष्टि से रोजगारमूलक बनाने हे इसका नाम '*योग एवं प्राकृतिक थेरेपी*' रखा जाय।

4. व्यापार प्रबंधन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) पाठ्यक्रम आरंभ करने से पूर्व बाजार में इसकी उपयोगिता । अध्ययन होना चाहिए।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मानक शब्दावली एवं वर्तनी का प्रयोग किया जाय।

6. सदस्यों का यह मत था कि विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक प्रकाशन विभाग अलग से बनाया जाय अं 'काव्यकौमुदी' जैसी अनुपलब्ध पुस्तकों को पुर्नप्रकाशित किया जाय। इसके लिए विस्तृत जानक प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय से प्राप्त करने के लिए कहा गया। प्रस्तावित नये विषयों पर मौलिक पाठ्यपुस्तकें तैय कराने का भी सुझाव दिया गया।

7. विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं 'बहुवचन' एवं 'पुस्तकवार्ता' को अन्तरराष्ट्रीय स्तर स्तर की पत्रिकाएँ बनाने सुझाव दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि साहित्य संबंधी लेख जो उक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित हो है, उन्हें बाद में पुस्तकाकार में प्रकाशित किया जाय।

8. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को और भी समृद्ध किया जाना चाहिए।

9. विश्वविद्यालय में हिन्दी अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और अन्य वांछनीय शैक्षणिक पद जिनकी विश्वविद्याल को जरूरत है, के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पद मांगने संबंधी आवश्यक कदम तुरंत उठ के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

बैठक की समाप्ति कुलपति द्वारा सभी सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता से विश्वविद्यालय को लाभान्वित कर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने और सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद करने से हुई। बैठक की समाप्ति के बा कुलपति और सभी सदस्यों ने सेवाग्राम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुटिया और परिसर देखा एवं पवनार आचार्य विनोबा भावे आश्रम एवं परिसर को भी देखा और उन्हें प्रणति दी।

- - -

अनुमोदित.
19/7/04.

अहिंसा एवं शांति-अध्ययन

पहली छमाही

(1) अहिंसा : विचार और व्यवहार

O अहिंसा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- हिन्दू धर्म में अहिंसा एवं शांति
- जैनधर्म में अहिंसा एवं शांति
- बौद्ध धर्म में अहिंसा एवं शांति
- इसाई धर्म में अहिंसा एवं शांति
- इस्लाम धर्म में अहिंसा एवं शांति
- सिख एवं अन्य धर्मों में अहिंसा एवं शांति

(2) धर्म की भूमिका

- प्राचीन समाज में धर्म
- सभी धर्मों में अनेकता में एकता
- विभिन्न धर्मों में नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन
- विभिन्न धर्मों में अध्यात्मिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन

(3) अहिंसा का साहित्य

- संस्कृत, पालि, प्राकृत साहित्य
- हिन्दी साहित्य एवं हिन्दीतर अन्य भारतीय साहित्य
- एशिया, अफ्रिका एवं अन्य विदेशी साहित्य

(4) अहिंसा : समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में

- नागरिक अधिकार आंदोलन
- सविनय अवज्ञा
- संघर्ष और समाधान
- प्रभुत्ववाद और शांति

अहिंसा के विविध आयाम:

(क) वैचारिक एवं भावनात्मक अहिंसा

1 - वैचारिक अहिंसा - अनेकांत
2 - भावनात्मक अहिंसा- धर्म समभाव
3 - भाषिक अहिंसा- सत्य, मितभाषी, प्रियभाषी, आदि
4 - घरेलू अहिंसा (पारिवारिक अहिंसा)
5 - आर्थिक अहिंसा

(ख) सामाजिक अहिंसा

1 - जातिगत अहिंसा
2 - सांप्रदायिक अहिंसा
3 - रंग भेद का एकता की अहिंसा
4 - भाषिक अहिंसा

(5) अहिंसा, समाज और शांति-

- परिवेश और प्रकृति, पर्यावरण, वंश एवं जातीय सहअस्तित्व।

(6) अहिंसा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत : मनु, पतंजलि से लेकर गांधी तक के साथ-साथ मैथिलिशरण गुप्त, दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी को भी पढ़ाया जाए।

पश्चिम : सुकरात

(7) अस्मिता की राजनीति, जातीयता और राष्ट्रवाद

- अस्मिता की राजनीति : दलवाद, सत्ता संघर्ष एवं तनाशाही तथा लोकतंत्र
- राजनीतिक अभिकरण के रूप में समुदाय : सिद्धान्त विहीन राजनीति
- विविध प्रतीकों : धर्म, जाति, भाषा आदि की राजनीति, अतीतोन्मुखता
- राज्य और समुदाय : एक अनसुलझी बहस
- सुविचारित गोलबंदी और अस्मिता का निर्धारण / पुनर्निधारण
- जातीयता एवं राष्ट्रीयता की आद्यरूपीय और कारकीय धारणा
- राष्ट्र राज्य और प्रादेशिक सीमाओं का धार्मिक परिप्रेक्ष्यकरण, राष्ट्रवाद का दोष
- राष्ट्रीय स्व और जातीय अन्य : विकल्प : विश्वराज्य
- जातीय उभारों का दौर : भाषायी, सांप्रदायिक और स्थानीयतावादी

संदर्भ ग्रंथ :

1) Traditions in non-violence : Dr. T.K.N. Unnithan
2) अहिंसा की परम्परा : मार्जरी साइक्स
3) अहिंसा विचार और व्यवहार : विनोबा

दूसरी छमाही

अनिवार्य पत्र :

(1) गांधी : विचार और व्यवहार

- गांधी का जीवन परिचय
- गांधी की मूलभूत विचारधारा – सत्य, अहिंसा, रचनात्मक कार्यक्रम (मंगल प्रभात एवं रचनात्मक कार्यक्रम)
- स्वराज के विषय में गांधी के विचार– हिन्द स्वराज से ग्राम-स्वराज तक
- बुनियादी शिक्षा और नई तालीम

सत्याग्रह : सिद्धान्त एवं व्यवहार

1. इतिहास
2. मूल सिद्धांत
3. प्रकार
4. व्यूह रचना
5. वैश्विक परिप्रेक्ष्य

(2) अहिंसावादी राजनीति : सिद्धान्त और व्यवहार

- गांधी, विनोबा, लोहिया, जयप्रकाश, बादशाह खान
- मार्टिन लूथर किंग, नेलसन मंडेला, दा नी लो डोल्सी, आर्यरत्न

(3) अहिंसक आंदोलन

- स्वदेशी आंदोलन
- हरित क्रांति
- सत्याग्रह
- जल प्रबंधन की राजनीति
- सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन
- भूदान, ग्रामदान, श्रमदान व शस्त्र समर्पण
- अन्तरराष्ट्रीय अहिंसात्मक आंदोलन
- निःशस्त्रीकरण

वैकल्पिक समूह

प्रथम समूह :

1. अभ्युदय और निःश्रेयस :

- आवश्यकताओं की सीमा लोभ और संयम
- विचारधारा एवं प्रौद्योगिकी
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं पर्यावरण
- विकास की राजनीति : राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ
- विकास की लाभ केंद्रित और मनुष्य केंद्रित अवधारणा

2. संस्कृति, बाजार और भूमंडलीकरण

- संस्कृति की अवधारणाएँ
- सत्ता विमर्श, बाजार और वर्चस्व
- सांस्कृतिक एकरूपीकरण, रूढ़ियाँ और नैतिक विवेक
- सांस्कृतिक पुनर्जागरण : राजा राममोहन राय से गांधी तक

— अथवा —

द्वितीय समूह :

1. आधुनिक राजनीति और अहिंसा दृष्टि

- आधुनिक राजनीति की सैद्धांतिकी और लोकतंत्र की अवधारणा
- राष्ट्र-राज्य, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद विरोधी अभियान
- गांधीवाद की प्रासंगिकता
- फासीवाद, नाजीवाद और सर्वसत्तावाद के अन्य रूप
- साम्यवाद एवं उसकी विभिन्न अवस्थाएँ

2. भूमंडलीकरण, उसकी समस्याएँ और समाधान

- भूमंडलीकरण की राजनीति : विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय कोष, विश्वव्यापार संघ
- भूमंडलीकरण : विकसित और विकासशील देश
- [illegible] प्रतिनिधित्व और भागीदारी : प्रतिनिधिक लोकतंत्र से योगदानात्मक लोकनेता

3. जातीय साम्प्रदायिक टकराव और उनका प्रत्युत्तर

- जातीय सांप्रदायिक टकराव : विमर्श

तीसरी छमाही

अनिवार्य पत्र :

(1) समाज-वैज्ञानिक शोध-प्रविधि

– शोध प्रक्रिया : समाज वैज्ञानिक शोध के चरण
- शोध समस्या और शोध प्रश्न
- प्राक्कल्पना
- प्रधान और गौण आंकड़े

– मात्रात्मक पद्धति
- प्रश्नावली साक्षात्कार
- प्रतिदर्श : एकत्रीकरण और निश्चयन
- मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण और उनका प्रस्तुतिकरण

– गुणात्मक पद्धति
- पर्यवेक्षण
- प्रतिनिधि घटना या अध्ययन
- गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण और उनकी प्रस्तुति

– समाज वैज्ञानिक शोध में कम्प्यूटर का उपयोग

– समाज वैज्ञानिक का नैतिक पक्ष

– समाजविज्ञान एवं सर्वोदय का समन्वय

(2) शांति, विकास और संप्रेषण :

(1) संवाद और संप्रेषण की अवधारणाएँ
- शांति और संप्रेषण

(2) संप्रेषण और उसकी विविध परिस्थितियाँ
- अन्तर्वैयक्तिक संप्रेषण
- यंत्र आधारित अन्तरवैक्तिक संप्रेषण
- जनसंचार माध्यमों की भूमिका

(3) संप्रेषण और उसके विविध प्रारूप

– प्रसारण आधारित अर्थविज्ञान के प्रारूप

– प्रसारण आधारित प्रारूप

- संप्रेषण प्रक्रिया की विविधि इकाईयाँ
  [स्रोत, इनकोडिंग, संवाद, चैनल, डिकोडिंग रिसीवर, फीडबैक, शोर]
- भारतीय एवं विदेशी विचारक (संकोडन/विकोडन)

(4) संप्रेषण और विकास

– संप्रेषण और विकास के विविध प्रारूप और उनका पारस्परिक अंतःसंबंध
– मैकब्राइड कमीशन रिपोर्ट (यूनेस्को)
– सूचना का अधिकार

(5) संप्रेषण-दक्षता

व्यावहारिक प्रशिक्षण (पोस्टर, सामाजिक-विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक, वृत्तचित्र-निर्माण आदि)

वैकल्पिक-पत्र

प्रथम समूह :

1. अभ्युदय, निःश्रेयस की स्थापना
   – अभ्युदय का अधिकार और 'विकास' की रणनीति
   – 'विकास' और विस्थापन
   – पर्यावरणीय शरणार्थी
   – विकास, राष्ट्र-राज्य और अन्तर्देशीय शरणार्थी
   – निःश्रेयस की स्थापना

2. घटना-अध्ययन
   – जलप्रबंधन की राजनीति
   – सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन
   – विभिन्न भूमि आंदोलन

– अथवा –

द्वितीय समूह :

1. अन्तरराष्ट्रीय टकराव और शांति-प्रक्रिया
   – अंतरराष्ट्रीय विधि और संस्थाएँ
   – शरणार्थी, युद्धबंदी और उनके अधिकार का प्रश्न

(11)

2. घटना-अध्ययन

– श्रीलंका, इजरायल-फिलिस्तीन, म्यामार

– कश्मीर, ट्रुथ एण्ड रिकन्सिलियेशन कमीशन, जिम्बाब्वे, तिब्बत, वियतनाम, अफगानिस्तान, आदि।

चौथी छमाही

1. मानव - अधिकार
   - अवधारणा और इतिहास
   - सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष
   - भारतीय संविधान में मानवाधिकार एवं कर्तव्य
   - मनुष्येतर प्राणियों के प्रति मानवीय कर्त्तव्य

2. – 3 परियोजना कार्य
   (आठ क्रेडिट)

वैकल्पिक पत्र :

4. युद्ध और निःशस्त्रीकरण
   - बीसवीं सदी में युद्ध और अस्त्र की बदलती अवधारणा
   - निःशस्त्रीकरण : इतिहास और अवधारणाएँ
   - सार्क (दक्षिण पूर्वी एशिया) के बीच सद्भाव

– अथवा –

4. हिन्द स्वराज का अध्ययन